अनुदान संख्या 89 – सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
GRANT No. 89–MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	1834,92,00		1834,93,00	1696,17,14	–138,75,86
पूरक	Supplementary	1,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					127,15,94
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–			18,62,00	16,65,41	–1,96,59
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					52,71

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451" सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat-Economic Services				
मू.	O.	902.00	799.81	783.27	–16.54
पु.	R.	–102.19			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	920.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–920.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''2553'' संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	Major Head "2553" MP's Local Area Development Scheme				
मू.	O.	158000.00			
			148000.00	147055.00	–945.00
पु.	R.	–10000.00			
मुख्य शीर्ष ''3454'' जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	Major Head "3454" Census, Surveys and Statistics				
मू.	O.	22958.00			
पू.	S.	1.00	21597.20	21404.51	–192.69
पु.	R.	–1361.80			
मुख्य शीर्ष ''3601'' राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	444.00			
			100.00	100.00	. .
पु.	R.	–344.00			

(I) 1370.00 लाख रु. का प्रावधान दस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 1198.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2552'' -

(क) ''जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी - केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन - केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन का क्षमता विकास (संस्थागत विकास एवं क्षमता निर्माण)'' - 262.00 लाख रु. थे;

(ख) ''सर्वेक्षण और सांख्यिकी - भारतीय सांख्यिकीय संस्थान - भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता को सहायता अनुदान'' - 173.00 लाख रु. थे; और

(I) Provision of Rs.1370.00 lakhs remained wholly unutilised under ten heads; of these Rs.1198.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2552" -

(a) "Census, Surveys and Statistics – Central Statistical Organisation - Capacity Development of C.S.O. (Institutional Development & Capacity Building)" – Rs.262.00 lakhs;

(b) "Surveys and Statistics - Indian Statistical Institute - Grants-in-aid to ISI, Kolkata" - Rs.173.00 lakhs; and

(ग) ''सर्वेक्षण और सांख्यिकी - आर्थिक परामर्श और सांख्यिकी - सांख्यिकी - पूर्वोत्तर क्षेत्र में केंद्रीय एनएसएस प्रतिदर्श कार्य के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को सहायता अनुदान'' - 320.00 लाख रु. थे।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - सर्वेक्षण और सांख्यिकी - आर्थिक परामर्श एवं सांख्यिकी - स्थानीय स्तर के विकास के लिए मूलभूत सांख्यिकी'' - 443.00 लाख रु. ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना में शामिल किए जाने के लिए योजना आयोग का अनुमोदन विलंब से प्राप्त होने तथा इसके परिणामस्वरूप व्यय वित्त समिति की बैठक आयोजित न किए जाने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष ''3451'' - ''सचिवालय - सांख्यिकी विभाग'' के अंतर्गत 111.60 लाख रु. की बचत (837.30 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन, चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने, कम दौरे किए जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ''2553'' - ''जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों/स्थानीय निकायों को सहायता - अनुदान सहायता'' के अंतर्गत 10945.00 लाख रु. की बचत (158000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) गुजरात, मेघालय, त्रिपुरा और राजस्थान में विधानसभा चुनावों से पहले आदर्श आचार संहिता लागू किए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष ''3454'' - ''सर्वेक्षण और सांख्यिकी'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन'' -

(क) ''अधीनस्थ कार्यालय'' - 422.98 लाख रु. की बचत (10464.27 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के क्षेत्रीय प्रचालन प्रभाग में अन्वेषकों द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के कारण हुई।

(c) "Surveys and Statistics - Economic Advice and Statistics - Statistics - Grants-in-aid to the States for carrying out Central NSS Sample work in North Eastern Region" - Rs.320.00 lakhs.

Provisions under the above three heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(B) "Major Head "3601" – "Grants for Central Plan Schemes – Surveys and Statistics – Economic Advice and Statistics – Basic Statistics for Local Level Development" – Rs.443.00 lakhs – due to late receipt of approval of Planning Commission for inclusion in 11th Five Year Plan and consequently non-holding of meeting of Expenditure Finance Committee.

(II) Under Major Head "3451" – "Secretariat – Department of Statistics" – saving of Rs.111.60 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.837.30 lakhs) was due to requirement of less funds towards salaries, medical reimbursement, less tours undertaken and economy measures.

(III) Under Major Head "2553" – "Assistance to District Rural Development Agencies/Local Bodies – Grant Assistance" – saving of Rs.10945.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.158000.00 lakhs) was due to imposition of model code of conduct prior to assembly elections in Gujarat, Meghalaya, Tirpura and Rajasthan.

(IV) Under Major Head "3454"– "Surveys and Statistics" – savings occurred under the following heads:-

(A) "National Sample Survey Organisation" –

(a) "Subordinate Office" – saving of Rs.422.98 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.10464.27 lakhs) was due to resignation of investigators in Field Operations Division of National Sample Survey Organisation.

(ख) ''क्षेत्रीय प्रचालन प्रभाग'' - 627.70 लाख रु. की बचत (1811.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदो के भरे न जाने और पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय के माध्यम से साफ्टवेयर की अधिप्राप्ति के दावे प्राप्त न होने के कारण हुई।

(खा) ''कंप्यूटर सेवाएं - आंकड़ा संसाधन, भंडारण और कंप्यूटर केंद्र का प्रसार'' - 105.73 लाख रु. की बचत (147.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधिकारियों को कार्यालय में ही प्रशिक्षण प्रदान करने संबंधी कार्य के मूर्त रूप न लेने के कारण हुई।

(गा) ''केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन'' -

(क) ''संबद्ध कार्यालय'' - 228.85 लाख रु. की बचत (1269.92 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के भरे न जाने के कारण हुई।

(ख) ''केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन का क्षमता विकास (संस्थागत विकास और क्षमता निर्माण)'' - 432.05 लाख रु. की बचत (1221.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जिला कार्यान्वयन अभिकरणों को निधियां जारी न किए जाने के कारण हुई।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (337.71लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मुख्य शीर्ष ''3454'' - ''सर्वेक्षण और सांख्यिकी - भारतीय सांख्यिकीय संस्थान - भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता को सहायता अनुदान'' के अंतर्गत मार्च, 2008 में 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत 99.00 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 9900 प्रतिशत था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं /हुआ:-

(b) "Field Operations Division" – saving of Rs.627.70 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1811.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and non-receipt of claims for procurement of software through Director General of Supplies and Disposals.

(B) "Computer Services – Strengthening of Data Processing, Storage and Dissemination of Computer Centre" – saving of Rs.105.73 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.147.00 lakhs) was due to non-materialisation of in house training to officers.

(C) "Central Statistical Organisation" –

(a) "Attached Office" – saving of Rs.228.85 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1269.92 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.

(b) "Capacity Development of CSO (Institutional Development and Capacity Building)" – saving of Rs.432.05 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1221.00 lakhs) was due to non-release of funds to district implementing agencies.

2. (I) The above savings were partly (Rs.337.71 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh in March, 2008 under Major Head "3454" – "Surveys and Statistics – Indian Statistical Institute – Grants-in-aid to ISI, Kolkata".

(II) Under one head excess of Rs.99.00 lakhs occurred constituting 9900 percent of the sanctioned provision.

3. In the capital section of the grant, savings/ excess occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''5475'' अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5475" Capital Outlay on Other General Economic Services				
मू.	O.	1862.00	1809.29	1665.41	–143.88
पु.	R.	–52.71			

(I) 32.00 लाख रु. का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) ''सांख्यिकी - राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन का क्षमता विकास (राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की क्षेत्रीय सर्वेक्षण क्षमताओं का सुदृढ़ीकरण)'' के अंतर्गत 417.84 लाख रु. की बचत (618.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य की धीमी प्रगति होने और निधियों का कम उपयोग होने की वजह से संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

4. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (340.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि ''सांख्यिकी - केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का क्षमता विकास (संस्थागत विकास और क्षमता निर्माण)'' के अंतर्गत अनुदान की पूरक मांगों के अनुबंध द्वारा संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 244.22 लाख रु. था।

(I) Provision of Rs.32.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads.

(II) Under "Statistics - Capacity Development of NSO (Strengthening of Field Survey Capabilities of NSSO)" – saving of Rs.417.84 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.618.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage owing to slow progress of work and less utilisation of funds by Central Public Works Department.

4. The above savings were partly (Rs.340.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament vide Annexure to the Supplementary Demands for Grants under "Statistics – Capacity Development of CSO (Institutional Development and Capacity Building)". Actual excess, however, was Rs.244.22 lakhs.